

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ जिला झुंझुनूं (राज0)

उपखण्ड अधिकारी-

अभिलाषा, आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. - 38/2021

उपखण्ड- श्रीमती सायर कंवर व अन्य बनाम राज. सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 19/7/21

प्रार्थी के "दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, खातेदारो की सहमति पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार सूरजगढ व पटवारी हल्का महपालवास के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वाके ग्राम कलोठ खुर्द की जमाबंदी सं0 2074-77 के खाता सं0 131 के खसरा नम्बर 149, 150, 155 किता 3 कुल रकबा 6.05 है. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कलोठ खुर्द	ग्राम कलोठ खुर्द की जमाबंदी सं0 2074-77 के खाता सं0 131 के खसरा नम्बर 149, 150, 155 किता 3 कुल रकबा 6.05 है.	1. सरती पुत्री रामेश्वरसिंह 2. बिल्लो पुत्री रामेश्वरसिंह	1. सायर कंवर पुत्री रामेश्वरसिंह 2. बिमला कंवर पुत्री रामेश्वर



(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर, सूरजगढ

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 214-15

दिनांक :- 19/7/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सूरजगढ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. श्रीमती सायर कंवर पत्नी कुमसिंह पुत्री रामेश्वर जाति राजपुत निवासी कुलोठ खुर्द तह0 सूरजगढ जिला झुंझुनूं व अन्य को सूचनार्थ।

(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर, सूरजगढ

